

समस्त पत्र-व्यवहार "कुलसचिव" को ही संबोधित किया जाये किसी अधिकारी के व्यक्तिगत नाम से नहीं। पूर्ण संदर्भ यदि हो तो, देना आवश्यक है अन्यथा कोई कार्यवाही संभव नहीं होगी।

दूरभाष : 2529540, 2527532
तार : यूनिवर्सिटी
फैक्स : 0731-2529540



देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

//स्मरण पत्र//

क्रमांक : परीक्षा/सामान्य/2018/ 1274

दिनांक: 10 SEP 2018

प्रति,

प्राचार्य/प्राचार्या,

समस्त संबद्ध महाविद्यालय,

इन्दौर, खण्डवा, बुरहानपुर, खरगोन, धार, अलीराजपुर, झाबुआ जिला, म.प्र.

विषय :- परीक्षा केंद्रों में सी.सी.टी.वी. लगाने बाबद्।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय से प्राप्त पत्र क्रमांक 226/2018/38-3 भोपाल, दिनांक 01.03.18 द्वारा निर्देशित किया गया है कि विश्वविद्यालय अंतर्गत संचालित समस्त परीक्षाओं में सीसीटीवी का उपयोग किया जाना है। पत्र के परिपालन में विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में भी निर्देशित किया गया था कि वर्ष 2018 से संपन्न होने वाली समस्त परीक्षाओं में तथा संबंधित परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी की निगरानी में ही परीक्षायें संचालित की जायें। इसी तारतम्य में पुनः स्मरण कराया जाता है कि यदि आपके महाविद्यालय में सी.सी.टी.वी. कैमरे नहीं लगे हैं तो कृपया शीघ्र अति शीघ्र सी.सी.टी.वी. कैमरे लगवाने एवं यदि कैमरे लगे हुए हैं तो विश्वविद्यालय को सूचित करने का कष्ट करे। साथ ही पीएचडी मौखिक परीक्षा की वीडियो/ऑडियो रिकार्डिंग कराई जाये।

कृपया निर्देश का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाये, साथ ही की गई कार्यवाही से विश्वविद्यालय को अवगत करावे।

आदेशानुसार

परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपी :-

1. विशेष कर्तव्य अधिकारी, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल
2. समस्त संबद्ध महाविद्यालय, दे.अ.वि.वि., इन्दौर
3. कुलसचिव महोदय के निज सहायक, दे.अ.वि.वि., इन्दौर
4. उपकुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय)